

## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 12 वर्ष 2020-2021

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., नरेंद्रनगर के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., नरेंद्रनगर के माह 08/2018 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 11/08/2020 से 21/08/2020 तक श्री वी. पी. सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर व श्री एस. एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16/08/2018 से 25/08/2018 तक श्री आई के जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2012 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2018 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: पी एम जी एस वाई योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला -टिहरी के अंतर्गत विकास खंड नरेंद्रनगर एवं देवप्रयाग है।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

( लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2017-18		-	152.34	144.74	2104.73	1596.65		
2018-19		-	172.44	163.64	2841.83	2321.59		
2019-20		-	24.68	21.05	2488.90	1677.52		
2020-21		-	01.10	00.75	955.27	479.01		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2017-18	प्रोग्राम निधि	-	2028.55	1529.51	
2018-19	प्रोग्राम निधि	-	2312.53	1895.61	
2019-20	प्रोग्राम निधि	-	2083.68	1382.19	
2020-21	प्रोग्राम निधि	-	861.96	378.16	

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "A" है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

(1) सचिव , उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास विभाग।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

**तकनीकी संवर्ग मे:**

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र

(5) मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी (6) अधीक्षण अभियंता, मसूरी

(7) अधिशासी अभियंता (8) सहायक अभियंता

(9) कनिष्क अभियंता

**गैर तकनीकी संवर्ग मे :**

(1) वित्त नियंत्रक (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6) प्रधान सहायक (7) वरिष्ठ सहायक (8) कनिष्क सहायक ।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., नरेंद्रनगर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., नरेंद्रनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2019 एवम 6/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा किमी 3 L023 से बाँध स्टेज -2 मोटर मार्ग का विस्तृत

विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि में अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

- (v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में शून्य निरीक्षण किया गया।
5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी माह 11/2019 तक की गई।
6. फार्म 51: माह 06/2020 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:- (धनराशि रु में )।
- भाग प्रथम ... शून्य
- भाग द्वितीय .... शून्य
- खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..06/2020 के अन्त में (धनराशि रु में )
- (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम... शून्य
- (ख) सामग्री क्रय....शून्य
- (ग) नगद परिशोधन....शून्य
- (घ) निक्षेप.... शून्य
- (ङ) भण्डार....शून्य

## भाग दो 'अ'

**प्रस्तर:1- ₹ 14,41,940/- श्रमिक उपकर की कटौती/ वसूली कर जमा न किया जाना।**

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों (इसमें सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य भी सम्मिलित है) में नियोजित श्रमिकों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं तत्संबंधी राज्य नियमावली, 2005 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट - 'क' के अनुसार हितलाभ दिये जाने का प्राविधान है। इस हेतु उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग के पत्रांक 628/VIII/10-84 (श्रम)/2005 दिनांक 07 अप्रैल, 2010 को किया गया। निर्माण श्रमिकों को देय हितलाभ बोर्ड की कल्याण निधि से दिये जाएंगे। बोर्ड की कल्याण निधि में धन की व्यवस्था हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में संग्रह करके संग्रहित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पदनाम से बनाया जाएगा। साथ ही श्रम आयुक्त/सचिव उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम हलद्वानी के पत्र सं0 1861/छ - 24-पीएओसी/2010 दिनांक 15.06.2012 के आदेशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु दिनांक 17.05.2013 को केंद्रीय शेड्यूल आफ रेट्स के पुनरीक्षण में प्रत्येक मद में 1 प्रतिशत लेबर सेस का प्राविधान किया गया है। जिसकी देयकों से कटौती कर प्रतिमाह संग्रहित धनराशि को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बैंक ड्राफ्ट तैयार कर, सचिव उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हलद्वानी को प्रेषित किया जाना चाहिए था।

किन्तु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि०,नरेंद्रनगर की लेखापरीक्षा (08/2020) में कैश बुक एवं वाउचरो से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खंड द्वारा माह 05/2019 से 07/2020 के मध्य भुगतान किए देयकों से रु 14,41,940/- श्रमिक उपकर की कटौती कर, सचिव उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हलद्वानी को प्रेषित न कर, संबन्धित ठेकेदारों की Security Deposit में रखी जा रही थी, जोकि वित्तीय नियमों के विपरीत है। श्रमिक उपकर की राशि का विवरण संलग्न है (संलग्नक-1 के अनुसार)।

इस तथ्य को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति को स्वीकर करते हुये अवगत कराया गया कि श्रमिक उपकर की उक्त राशि की कटौती कर त्रुटिवश Security Deposit में जमा कर दी गयी थी। जिसको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से यथाशीघ्र सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हलद्वानी को जमा हेतु प्रेषित कर दी जाएगी। विगत 01 वर्ष से भी अधिक समय से श्रमिक उपकर की राशि का बैंक ड्राफ्ट तैयार

कर, सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी को प्रेषित न कर, ठेकेदारो की Security Deposit मे रखना वित्तीय नियमो के विपरीत है, जिसको बाद मे ठेकेदारो को भी जारी करने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। साथ ही सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 08 की शर्त के अनुसार श्रमिक उपकर की उक्त राशि विलंभ से जमा करने के कारण 02 प्रतिशत ब्याज भी देह होगा।

अतः ₹ 14,41,940/- श्रमिक उपकर की कटौती/वसूली कर निर्धारित शीर्ष मे जमा न किया जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक-1

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि०, नरेंद्रनगर द्वारा जमा न किए जाने वाले श्रमिक उपकर की राशि का विवरण:-

क्र.स.	माह/ वर्ष	श्रमिक उपकर की धनराशि रु	जमा धनराशि रु	अवशेष धनराशि
1	04/2019	31503.00	31503.00	0.00
2	05/2019	157306.00	31867.00	125439.00
3	06/2019	150251.00	19301.00	130950.00
4	07/2019	68153.00	0.00	68153.00
5	08/2019	91495.00	13039.00	78456.00
6	09/2019	57477.00	0.00	57477.00
7	10/2019	70054.00	0.00	70054.00
8	11/2019	63376.00	0.00	63376.00
9	12/2019	133278.00	0.00	133278.00
10	01/2020	117574.00	0.00	117574.00
11	02/2020	177230.00	0.00	177230.00
12	03/2020	73839.00	0.00	73839.00
13	04/2020	1951.00	0.00	1951.00
14	05/2020	46419.00	0.00	46419.00
15	06/2020	143233.00	0.00	143233.00
16	07/2020	154511.00	0.00	154511.00
	<b>योग</b>	<b>15,37,650.00</b>	<b>95710.00</b>	<b>14,41,940.00</b>

## भाग 2 (ब)

**प्रस्तर :1 अर्थदण्ड निर्धारित करने के पश्चात राजस्व में जमा करने के स्थान पर ठेकेदार को वापस किए जाने का प्रकरण।**

अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 36 (डी) के अनुसार यदि कोई ठेकेदार समय से कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो अनुबंधित राशि का कम से कम 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह व अधिकतम 10 प्रतिशत राशि की वसूली ठेकेदार से दंड स्वरूप वसूल की जानी चाहिए एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 72 (1) से (4) तक के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग के अनुमति के बिना उपरोक्त नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., नरेंद्रनगर द्वारा निम्न अनुबंधों में समय वृद्धि की स्वीकृति वित्तीय नियमों के विरुद्ध प्रदान की गयी थी (1) अनुबंध संख्या 107/2018-19 के अनुसार अनुबंधित राशि 638.55 लाख थी कार्य प्रारम्भ की तिथि 17/11/2018 थी कार्य पूर्ण करने की तिथि 16/11/2019 थी ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया तो मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 31/01/2020 के द्वारा दिनांक 30/4/2020 तक रु 1 लाख क्षतिपूर्ति/एल डी के साथ समयवृद्धि प्रदान की गयी थी इस राशि को अर्थदंड के रूप में राजस्व विभाग को जमा किया जाना चाहिए था परंतु इस राशि को राजस्व विभाग में जमा भी नहीं किया गया एवं लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य अपूर्ण है। (2) अनुबंध संख्या 21/2018-19 में भी कार्य प्रारम्भ की तिथि 8/4/2018 थी कार्य पूर्ण करने की तिथि 7/2/2019 थी ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण न किए जाने पर अधीक्षण अभियंता द्वारा पत्र दिनांक 8/7/2019 के अनुसार 30/6/2019 तक की समयवृद्धि रु 2 लाख एल डी कटौती के साथ स्वीकृत की गयी थी इस राशि को भी लेखापरीक्षा तिथि तक राजस्व के रूप में जमा नहीं किया गया था। अनुबंध संख्या 107/2018-19 का निर्माण कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक भी पूर्ण नहीं हुआ है परंतु दिनांक 16/11/2019 से 30/4/2020 तक की समयवृद्धि मात्र 1 लाख एल डी निर्धारित करके स्वीकृत की गयी थी जबकि अनुबंधित राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से निर्धारित किया जाना था एवं एल डी को राजस्व में जमा करने के स्थान पर ठेकेदार को वापस की गयी थी इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया कि- अधीक्षण अभियंता, पी एम जी एस वाई, वृत्त मसूरी पत्रांक 140 /144 पी एम जी एस वाई /20 दिनांक 25/1/2020 द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरांत ठेकेदार को रु 2.00 लाख वापस की गयी थी। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि समयवृद्धि स्वीकृति के साथ लगाई गयी एल डी की राशि रु 1 लाख + रु 2 लाख कुल राशि रु 3 लाख राजस्व में जमा किया जाना चाहिए था। अतः अर्थदण्ड निर्धारित करने के पश्चात ठेकेदार को वापस किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

## भाग 2 (ब)

**प्रस्तर: 2 - रु 107.43 लाख जी एस टी की राशि ठेकेदारों द्वारा राजस्व विभाग में जमा करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रकरण।**

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17-27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा-निर्देश में case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाइस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी। उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में “ work contract” means a contract for building construction, Fabrication, completion, erection, installation, fittingout, improvement, modification, repair maintenance, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods(whether as goods or in some other form ) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (ब्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रु0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की माँग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनको अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि को भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूर्ति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्विन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिये कैफियत देने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्विन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशय से करता है, तो ऐसी शक्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., नरेंद्रनगर द्वारा लेखापरीक्षा को माह 08/2018 से 6/2020 तक जी एस टी की राशि रु 49.74 लाख अनुबंध संख्या 107/2018-19 के अंतिम चालू बिल के अनुसार है परंतु खंड द्वारा किसी भी ठेकेदार से कोई साक्ष्य नहीं लिया इसके अतिरिक्त रु 57.69 लाख खंड द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार भुगतान किया गया है। लेखापरीक्षा अवधि में कुल रु 107.43 लाख जी एस टी राशि



का भुगतान ठेकेदारो को किया था परंतु सभी प्रकार के भुगतान संविदाकार से टैक्स इनवाइस प्राप्त किये बिना ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान किया गया था, जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदाकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिये था, जैसाकि शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावधानों में उल्लिखित था, अर्थात बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये संविदा कार्य की देय संविदा धनराशि और 12 प्रतिशत कर की धनराशि का भुगतान संविदाकार को प्रावधानों के विरुद्ध किया गया था । इसलिये खण्ड कार्यालय के द्वारा कार्य संविदा की बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये भुगतान की गयी धनराशि एवं 12 प्रतिशत कर भुगतान की धनराशि संविदाकार से माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियम के अनुसार वसूली योग्य है, जोकि वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी। क्योकि उपरोक्त से स्पष्ट है,कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकार की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये उस पर धारा 122 अपराध एवं शास्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। ठेकेदार द्वारा खंडीय कार्यालय को जी एस टी, की राशि राजस्व विभाग को जमा की गयी या नहीं कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः रु 107.43 लाख जी एस टी की राशि राजस्व के रूप में जमा के बारे में पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में स्वीकार करते हुये बताया कि ठेकेदारो से साक्ष्य की मांग की जाएगी अतः रु 107.43 लाख जी एस टी की राशि ठेकेदारो द्वारा राजस्व विभाग में जमा करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

## भाग- 2(ब)

**प्रस्तर:3 - त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण कार्मिकों को ₹2.02 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किया जाना।**

उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक- 28 दिसंबर 2016 के अनुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारित कर वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किया जा रहा है। कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि:-

1. **श्री राजवर्धन तिवारी, अधिशासी अभियंता:-** दिनांक 01.01.2016 को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में किया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, दिनांक 31.12.2015 को विद्यमान मूल वेतन- ₹29890/- एवं ग्रेड वेतन ₹7600/- (29890+7600=37490) का तदनरूपी प्रयोज्य स्तर- 12 में वेतन (37490\*2.57=96349.30) ₹96900/- (₹96349/- के समरूप राशि उपलब्ध न होने के कारण उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में उपलब्ध राशि) पर निर्धारित किया जाना चाहिए था, परंतु उनका वेतन ₹99800/- निर्धारित किया गया है। तदनुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों को भी इनका मूल वेतन गलत निर्धारित किया गया। पुनः श्री राजवर्धन तिवारी, अधिशासी अभियंता का दिनांक 30.10.2017 को वेतन स्तर-12 से स्तर-13 में उच्चिकृत होने के फलस्वरूप ₹123100/- निर्धारित किया गया था। उसके पश्चात श्री तिवारी को अगली नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि जो दिनांक 01.07.2018 को अनुमन्य की जानी थी, वह 01.01.2019 को अनुमन्य की गयी है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.07.2020 की अवधि में कुल ₹13287/- वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है।

2. **श्री राजू अधिकारी, सहायक अभियंता:-** दिनांक 01.01.2016 को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में किया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, दिनांक 31.12.2015 को विद्यमान मूल वेतन- ₹28150/- एवं ग्रेड वेतन ₹7600/- (28150+7600=35750) का तदनरूपी प्रयोज्य स्तर-12 में वेतन (35750\*2.57=91877.50) ₹94100/- (₹91878/- के समरूप राशि उपलब्ध न होने के कारण उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में उपलब्ध राशि) पर निर्धारित किया जाना चाहिए था, परंतु उनका वेतन ₹96900/- निर्धारित किया गया है। तदनुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों को भी इनका मूल वेतन गलत निर्धारित किया गया। पुनः श्री राजू अधिकारी, सहायक अभियंता का दिनांक 30.10.2017 को वेतन स्तर-12 से स्तर-13 में उच्चिकृत होने के फलस्वरूप ₹123100/- निर्धारित किया गया था। उसके पश्चात श्री राजू अधिकारी को अगली नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि जो दिनांक 01.07.2018 को अनुमन्य की जानी थी, वह 01.01.2019 को अनुमन्य की गयी है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.07.2020 की अवधि में कुल ₹11031/- वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है।

3. **श्री गोपाल सिंह दवाण, कार्य अभिकर्ता:-** दिनांक 01.01.2016 को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में दिनांक 31.12.2015 को विद्यमान मूल वेतन- ₹9500/- एवं ग्रेड वेतन ₹2400/- में तदनरूपी प्रयोज्य स्तर- 5 में मूल वेतन ₹31400/- निर्धारित किया गया था। तदोपरांत उनके मूल पद का ग्रेड वेतन ₹2000/- से ₹2400/- में उच्चिकृत हो जाने के कारण उन्हें द्वितीय वित्तीय प्रोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन ₹2400/- के स्थान पर ₹4200/- अनुमन्य कर दिनांक 01.02.2016 को पुनर्निर्धारित किया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण है। श्री दवाण का दिनांक 01.01.2016 को सेवापुस्तिका में अंकित विद्यमान मूल वेतन ₹10560/- एवं ग्रेड वेतन ₹2800/- अंकित किया गया है, जबकि लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार उक्त तिथि को उनका विद्यमान मूल वेतन ₹9520/- एवं ग्रेड वेतन ₹2800/- एवं उच्चिकरण के उपरांत ग्रेड वेतन ₹4200/- वेतन होना चाहिए। इस प्रकार वेतन निर्धारण करने पर उनका वेतन दिनांक 01.02.2016 को प्रयोज्य स्तर-6 के न्यूनतम ₹35400/- पर निर्धारित किए जाने के उपरांत अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2017 को अनुमन्य की जानी चाहिए थी, परंतु दिनांक 01.02.2016 को उनका वेतन ₹37800/- निर्धारित किया गया है। तदनुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों को भी इनका मूल वेतन गलत निर्धारित किया गया। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.07.2020 की अवधि में कुल ₹102288/- वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है।

4. **श्री वीर सिंह बैरागी, मेट:-** दिनांक 01.01.2016 को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में किया गया वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, दिनांक 31.12.2015 को विद्यमान मूल वेतन- ₹6330/- एवं ग्रेड वेतन ₹1900/- (6330+1900=8230) का तदनरूपी प्रयोज्य स्तर-2 में वेतन (8230\*2.57=21151.10) ₹21700/- (₹21151/- के समरूप राशि उपलब्ध न होने के कारण उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में उपलब्ध राशि) एवं दिनांक 01.01.16 को नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के उपरांत ₹22400/- पर निर्धारित किया जाना चाहिए था, परंतु उनका वेतन नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरांत ₹23100/- निर्धारित किया गया है। तदनुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों को भी इनका मूल वेतन गलत निर्धारित किया गया। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.07.2020 की अवधि में कुल ₹41034/- वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है।

5. **श्री जयेन्द्र दत्त सकलानी, मेट:-** कार्यालय जाप: 1249/5ई0 दिनांक 28.11.2019 के द्वारा सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.02.2016 को उनका वेतन, ग्रेड वेतन ₹2800/- अनुमन्य करते हुए ₹30100/- निर्धारित किया गया है जबकि द्वितीय वित्तीय प्रोन्नयन के अनुसार श्री सकलानी का वेतन उन्हें कार्य अभिकर्ता के पद का ग्रेड वेतन ₹2400/- अनुमन्य करते हुए ₹28700/- निर्धारित किया जाना चाहिए था। तदनुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथियों को भी इनका मूल वेतन गलत निर्धारित किया गया। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.07.2020 की अवधि में कुल ₹34246/- वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी अभिलेखों/ साक्ष्यों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा इन कर्मियों को अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों की धनराशि की गणना की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवधि	अधिक भुगतान की गयी कुल धनराशि (₹ में)
01.	श्री राजवर्धन तिवारी	अधिशायी अभियंता	01/2016- 07/2020	13287.00
02.	श्री राजू अधिकारी	सहायक अभियंता	01/2016- 07/2020	11031.00
03.	श्री गोपाल सिंह दवाण	कार्य अभिकर्ता	01/2016- 07/2020	102288.00
04.	श्री वीर सिंह बैरागी	मेट	01/2016- 07/2020	41034.00
05.	श्री जयेन्द्र दत्त सकलानी	मेट	01/2016- 07/2020	34246.00
योग				201886.00

(अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी calculation sheet संलग्न है।)

उक्त सभी कर्मियों के गलत वेतन निर्धारण का प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया कि उक्त के संबंध में कार्यालय स्तर से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार आख्या महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी। खंड के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण कर्मियों को ₹2.02 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

### **भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण संख्या	प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
89/2018-19		1	1,2,
-		-	-
-		-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के माध्यम से पूर्व मे ही प्रेषित की जा चुकी है ।	

### **भाग-IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

“शून्य”

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., नरेंद्रनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं: शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवधि
----------	-----	-------	------

(1)	श्री आर. वी. तिवारी	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।
-----	---------------------	-----------------	---------------------------------

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, पी. एम. जी. एस. वाई., लो. नि. वि., नरेंद्रनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी. II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलगढ़, देहरादून - 248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II (Non-PSU)